1·6

प्रारुप–30

Form-1
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector : Almora

No. ११ मी .... Dated 02-11-2018

To WHOwSOEVER IT MAY CONCERN

In complianace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No:- 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be divert ed for non - forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th february 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 8.96 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Depatment. Uttrakhand for **Construction of Naugawn-Selakot- Kane-Rikhad to Mehragawn Motor road (lengh 16.00 K.M.) Under PMGSY in Irrigation Division (PMGSY) in Almora district. falls within jurisdiction of Naugaon,Selakot, Mehrgaon, Kol village (s) in Bhanoli tehsils.**
It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.96 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram sabha(s), sub-Division level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30, 30.1, 30.2, 30.3 to annexure 30.4

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl: as above

(Nitin Singh Bhadauria)
(Full name and official seal of the District Magistrate)

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr Nitin Singh Bhadauria I.A.S. District Magistrate-cum-Chairman, deputy Commissioner Almora on dated 2-01-2018 At time..11...A.M./P.M. At Almora in which application claiming rights in Mail area measuring 8.96 hect. for the construction of **Naugawn-Selakot- Kane-Rikhad to Mehragawn** Motor road (lengh 16.00 K.M.) under PMGSY in District Almora of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhanoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place – Almora
Dated.....................

(Nitin Singh Bhadauria)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
DISTRICT ALMORA(U.K.)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**मेहरागॉव**

तहसील–**भनोली** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**0.28** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **8.54 हैक्टेयर** सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.14 हैक्टेयर** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **8.96 हैक्टेयर** वन भूमि) वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **मेहरागॉव** द्वारा दिनॉक 06-08-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **मेहरागॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग/** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सेलाकोट मेहरागॉव
वि० ख०– हवालबाग (अल्मोड़ा)

मोहनी देवी
प्रधान
ग्राम सभा मेहरागॉव
ग्राम प्रधान
वि० ख० – धौलादेवी
जिला – अल्मोड़ा
(उत्तराखण्ड)

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

दिनॉक 06.08.18 ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– मेहरगॉव

क्रमॉक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	Narendra Singh Mehra	[signature]
2.	Chandan Singh Mehra	[signature]
3.	Sanjay Singh Mehra	[signature]
4.	Rajendra Singh Mehra	[signature]
5.	[illegible]	[signature]
6.	Kundan Singh	[signature]
7.		
8.	Rajendra Singh Mehra	[signature]
9.	[illegible]	[signature]
10		
11	Bhawani Ram	[signature]
12	किशन राम	किशन राम
14	श्याम चन्द्र	श्याम चन्द्र
15		
16	रमेश राम	रमेश राम
17		
18	आनन्द बल्लभ	आनन्द बल्लभ
19	मनोज सिंह	मनोज सिंह
20	Sawan Singh	Sawan Singh
21	मोहनी देवी	मोहनी देवी
22	दिवान सिंह	दिवान सिंह
23	प्रताप राम	प्रताप राम
24		
25	[signature]	[signature]
26		
27	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
28	लक्ष्मण राम	लक्ष्मण राम

मोहनी देवी
प्रधान
ग्राम सभा महरगांव
वि० ख० – धौलादेवी
जिला – अल्मोड़ा
(उत्तराखण्ड)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**नौगॉव**

तहसील–**भनोली** जिला – अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**0.28** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **8.54 हैक्टेयर** सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.14 हैक्टेयर** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **8.96 हैक्टेयर** वन भूमि) वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **नौगॉव** द्वारा दिनॉक ....08.04.2018को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं

किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **नौगॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग/** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हंसी देवी

ग्राम सचिव (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सेलाकोट-नौगॉव, वि० ख०-धौलादेवी (अल्मोड़ा)) ग्राम प्रधान (प्रधान, ग्राम सभा नौगॉव, वि० ख० - धौलादेवी, जिला - अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड))

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

दिनॉक 08-05-2018 ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– नौगॉव

क्रमॉक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दीवान सिंह रौतेला	दीवान सिंह
2.	रूपसिंह रौतेला	रूपसिंह
3.	भूपाल सिंह रौतेला	भूपाल सिंह रौतेला
4.	शिवराजसिंह	शिवराजसिंह
5.	पानसिंह रौतेला	पानसिंह
6.	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
7.	किसन सिंह रौतेला	किसन सिंह
8.	बच्ची राम	[illegible]
9.	हरीश राम	[illegible]
10	गोविन्द सिंह रौतेला	[illegible]
11	गोपाल सिंह रौतेला	गोपाल सिंह
12	हरीश सिंह रौतेला	हरीश सिंह रौतेला
14	बच्ची राम	बच्ची राम
15	जोगा राम	जोगा राम
16	कैलाश राम	कैलाश राम
17	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
18	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
19	[illegible]	
20		[illegible]
21	भीम सिंह	भीम सिंह
22	पदमसिंह	पदमसिंह
23	हरीश सिंह	हरीश सिंह
24	BALWANT सिंह	BALWANT सिंह
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	
27		[illegible]
28	मोहन सिंह	मोहन सिंह

हंसी देवी
प्रधान
ग्राम सभा नौगांव
वि० ख० – धौलादेवी
जिला – अल्मोड़ा
(उत्तराखण्ड)

[illegible]
सचिव
ग्राम पंचायत नौगांव
पो० – [illegible]
वि०ख०-धौलादेवी (अल्मोड़ा)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**कोल**

तहसील–**भनोली** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (0.28 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **8.54 हैक्टेयर** सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.14 हैक्टेयर** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **8.96 हैक्टेयर** वन भूमि) वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **कोल** द्वारा दिनॉक 06-08-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं

किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **कोल** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग/** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोल
वि० ख०–धौलादेवी (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत कोल
वि० ख०–धौलादेवी (अल्मोड़ा)

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

पार्वती देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत सेलाकोट,
विकास खण्ड – धौलादेवी,
जिला – अल्मोड़ा.

प्रधान
ग्राम पंचायत कोल
वि० ख०–धौलादेवी (अल्मोड़ा)

दिनाँक 06:08:18 ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– कोल

क्रमॉक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मोतीराम	मोतीराम
2.	कमल जोशी	[illegible]
3.	पीताम्बरदत्त	पीताम्बरदत्त
4.	मोहनराम	मोहन राम
5.	मोती राम	मोती राम
6.	चन्दन राम	चन्दन राम
7.	प्रमोद कुमार	प्रमोद कुमार
8.	दुनी राम	दुनी राम
9.	पनी राम	पनी राम
10	बसन्ती देवी	बसन्ती देवी
11	पिंकी देवी	पिंकी देवी
12	सरिता आर्या	सरिता आर्या
14	पार्वती आर्या	पार्वती आर्या
15	भावना आर्या	दुर्गा देवी
16	भावना आर्या	भावना आर्या
17	सोनी आर्या	सोनी आर्या
18	पुष्पा आर्या	पुष्पा आर्या
19	हरीश चन्द्र शर्मा	हरीश शर्मा
20	आनन्द वल्लभ	आनन्द वल्लभ
21	सुरेश चन्द्र जोशी	
22	प्रयाग दत्त जोशी	प्रयाग दत्त
23	कविता	कविता
24	गोपाल शर्मा	गोपाल जोशी
25	बसन्त जोशी	
26		Basant Joshi
27	गणेश जोशी	गणेश जोशी
28	मनोज जोशी	Manoj Joshi

पार्वती देवी

सदस्य

क्षेत्र पंचायत सैकाकोट, विकास खण्ड – धौलादेवी, जिला – अल्मोड़ा।

[signature]

प्रधान

ग्राम पंचायत कोल

वि० ख०-धौलादेवी (अल्मोड़ा)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–**सेलाकोट**

तहसील–**भनोली** जिला – **अल्मोड़ा**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला **अल्मोड़ा** उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (**0.28** हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **8.54 हैक्टेयर** सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.14 हैक्टेयर** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **8.96 हैक्टेयर हैक्टेयर** वन भूमि) वन भूमि का **ग्राम्य विकास** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **सेलाकोट** द्वारा दिनॉक 07-04-2011 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। *उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं

किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत् अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सेलाकोट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग**/ प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सेलाकोट
वि० ख०–ताकुला (अल्मोड़ा)

प्रधान
ग्राम पंचायत प्रधान सेलाकोट
वि० ख० – भैसियाछाना
जिला – अल्मोड़ा

नोटः– *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

दिनाँक 07-04-2018 ग्राम सभा में सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– सेलाकोट

क्रमाँक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दीवान सिंह बिष्ट	दीवान सिंह बिष्ट
2.	दीपक सिंह बिष्ट	[illegible]
3.	पंकज सिंह बिष्ट	[illegible]
4.	कुलदीप सिंह	[illegible]
5.	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह
6.	गोपाल सिंह बिष्ट	गोपाल सिंह बिष्ट
7.	पूरन सिंह	पूरन सिंह
8.	प्रकाश सिंह	Prakash
9.	दिवान सिंह	दिवान सिंह
10	जमन सिंह	जमन सिंह
11		
12	उमेद सिंह	उमेद सिंह
14	आनन्दी देवी	आनन्दी
15	दीपा देवी	दीपा देवी
16	जगदीश सिंह	[illegible]
17	किशन सिंह	किशन सिंह
18	मोहन सिंह	मोहन सिंह
19	गोपाल सिंह	Gopal Singh
20	सुन्दर राम	सुन्दर राम
21	बहादुर सिंह	दान सिंह
22	सोनू देवी	बहादुर सिंह
23		सोनू देवी
24	बिरेन्द्र सिंह	बिरेन्द्र सिंह
25	बिशन सिंह	बिशन सिंह
26	पदम सिंह	पदम सिंह
27	हरीश सिंह	हरीश सिंह
28	नारायण सिंह	नारायण सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत सेलाकोट
वि० ख० - धौलादेवी
जिला - अल्मोड़ा

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत् नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

उपखण्ड **भनोली** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव** मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0) (0.28 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि, **8.54 हैक्टेयर** सिविल एवं सोयम वन भूमि, **0.14 हैक्टेयर** वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **8.96 हैक्टेयर** वन भूमि) का **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक 24.09.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अवधेश कुमार** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी जैंती–अध्यक्ष

2– श्री प्रवीण कुमार प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा –सदस्य

3– श्री किशन सिंह जड़ौद सहायक समाज कल्याण अधिकारी, धौलादेवी –सदस्य

4– श्रीमती पार्वती देवीबी0डी0सी0 क्षेत्र ......–सैलाकोट पार्वती देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)** परियोजना हेतु **8.96 हैक्टेयर** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **नौगॉव–सेलाकोट–काने रिखाढ़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग (लम्बाई 16.00 कि0मी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **8.96 हैक्टेयर** वन भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

AKS 24/09/18
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भनोली
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

AKS 24/09/18
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भनोली जनपद अल्मोड़ा